कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकठ 447 /452/आउशि/शाखा–5'अ'/2022, भोपाल, दिनांक 09/05/2022

प्रति,

1. **समस्त,**
   क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
2. **प्राचार्य,**
   समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश.

विषयः–एनआईसी के माध्यम से दिनांक 11 मई, 2022 को पूर्वान्ह 11.00 से अपरान्ह 01.30 बजे के मध्य आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिग में उपस्थिति के सम्बंध में।

संदर्भः– कार्यालय द्वारा जारी पत्र कमांक क्रमांक 441/452/आउशि/शाखा–5'अ'/2022, भोपाल, दिनांक 06/05/2022.

–0–

कृपया विषयांतर्गत जारी पत्र का अवलोकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 11 मई, 2022 को प्रात 11.00 बजे से अपरान्ह 01.30 बजे के मध्य एन.आई.सी. के माध्यम से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

अपरिहार्य/आकस्मिक कारण से उक्त वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में उपस्थित न हो पाने की स्थिति में क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक तथा प्राचार्य **आयुक्त, उच्च शिक्षा** को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करेंगे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करेंगे।

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक तथा संबंधित प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

9/5/22

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक 448/452/आउशि/शाखा–5'अ'/2022, भोपाल, दिनांक 09/05/2022

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल

.................की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश